

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/19-20/44431-39 दिनांक : 5/12/19

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
बांसवाडा।

विषय : सामुदायिक भवन निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 22403-17 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण कल्याण धाम नौगामा पं.स. बागीदौरा की प्रशासनिक स्वीकृति राशि रु. 20.00 लाख की जारी की गई।

कार्यकारी एजेन्सी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने पर निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-2 में वर्णित कार्य हेतु कॉलम संख्या-6 में अंकित राशि की निम्नानुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है—

कार्यकारी एजेन्सी— स्वच्छ परियोजना

(राशि लाख रु. में)

क.स.	सामुदायिक भवन निर्माण का नाम	ग्रा.पं.	पंस.	तकनीकी स्वीकृति		प्रथम किस्त की देय राशि
				क्र./दि.	राशि	
1	2	3	4	5	6	7
	कला जी मंदिर (कल्याण धाम) नौगामा पं.स. बागीदौरा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	नौगामा	बागीदौरा	PO/SWACH(ENGG /40/8.11.2019)	20.00	10.00

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति सं- 20/2019-20 द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि रु. 100.00 लाख में से होगा। प्रथम किस्त राशि रु. 10.00 लाख परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा को हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शर्त :-

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. उपरोक्त स्वीकृत कार्य का निर्विवाद भूमि का पट्टा प्राप्त करने के पश्चात् राशि हस्तांतरित करे।
3. प्रस्तावित सामुदायिक भवन से अधिकांश जनजाति आबादी लाभान्वित हो। निर्माण पश्चात् सामुदायिक भवन का संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही राशि हस्तांतरित की जावे।
4. कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।
5. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्य पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे। आर.सी.सी फ़ेम स्ट्रक्चर निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जावे।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
7. कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।

- sd -

(शिवांगी स्वर्णकार) I.A.S

आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/19-20/44431-39 दिनांक : 5/12/13
प्रतिलिपी :-सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. विशिष्ट सहायक, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
4. निदेशक/परियोजना प्रबंधक, स्वच्छ परियोजना उदयपुर।
5. परियोजना अधिकारी स्वच्छ परियोजना बांसवाडा।
6. निदेशक मॉनिटरिंग कार्यालय हाजा।
7. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अर्न्तगत शासन की स्वीकृति सं- 20/2019-20 द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि रु. 100.00 लाख मे से प्रथम किश्त राशि रु. 10.00 लाख परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा को हस्तांतरित करावे।
- ✓ 8. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
9. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)